

v/; k; & 6

NRrhI x<+ I jdkj ds jktLo
, oa 0; ; ds i vkn'kd eW; kdu

6.1.0 प्रस्तावना :

- 6.1.1 **jkfo-vk- ds I nfhkr fo" k; ka** में अन्यों के अतिरिक्त अपेक्षा की गई है, कि आयोग (i) **jktLo y[ks ds jkt; foRr** की समीक्षा करेगा, (ii) **1 vi 2005 I s i kjEhk dj jkt; I jdkj ds jktLo y[ks ds jktLo , oa 0; ; dk 5 o" k dh vof/k ds fy; s vkn'kd eW; kdu djsk** तथा (iii) व्यय में दक्षता एवं मितव्ययिता से संगत दक्ष साधन प्रबंधन की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए **jkt dks kh; i qj puk** के लिये अनुशंसा करेगा एवं **vfrfjDr I k/ku t q/ kus ds fy; sy{; fu/ kkr djskA**
- 6.1.2 पिछले अध्याय में हमने राजस्व लेखे के राज्य वित्त की उसके विभिन्न स्वरूपों में समीक्षा संबंधी **en Øekad 1/2** पर चर्चा की है। इस अध्याय में **NRrhI x<+ jkt; ds jktLo , oa 0; ; ds vkn'kd eW; kdu** संबंधी **en Øekad 1/2 dk v/; ; u djsk jkt; foRr dk ; g eW; kdu jkt; ea mi yC/k jkf' k; ka ds ckjs ea crk; sk** तथा एक अन्य रिपोर्ट में हमारे द्वारा किया गया, स्थानीय वित्त का मूल्यांकन इन साधनों पर दावे का बोध करायेगा। अतएव राज्य के स्थानीय निकायों को कर राजस्व एवं सहायता अनुदान के अंतरण संबंधी अनुशंसायें प्रस्तुत करने के पूर्व **o" k 2005&06 I s 2009&10 dh vof/k** के लिये राज्य सरकार के राजस्व एवं व्यय के पूर्वानुमान करना आवश्यक हैं।

6.2.0 राज्य सरकार के साधनों का आदर्शक मूल्यांकन – विभिन्न संगठनों द्वारा किये गये अध्ययन :

6.2.1 **jkt; I jdkj ds jktLo , oa 0; ; ds vius i inkupku** प्रस्तुत करने के पहले यह सर्वथा उचित होगा, कि हम हाल ही में उपलब्ध कराये गये विभिन्न अभिकरणों के पूर्वानुमानों की त्वरित समीक्षा करें। यह समीक्षा हमें पूर्वानुमानों के लिये अपनी कार्यविधि विकसित करने में सहायक होगी। ये पूर्वानुमान निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा किये गये हैं –

- (i) राज्य सरकार द्वारा, **XII09 fo-vk** को प्रस्तुत अपने स्मरण-पत्र में समाहित,
- (ii) **XII09 fo-vk** के द्वारा, जिससे ये पूर्वानुमान उसकी अपनी राज्य सरकारों को केन्द्रीय हस्तांतरणों एवं राज्य वित्त की पुनर्रचना संबंधी योजना का आधार हो सके एवं
- (iii) नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च, नई दिल्ली के द्वारा, योजना आयोग के आदेश पर छत्तीसगढ़ राज्य की विकास रिपोर्ट के एक भाग के रूप में।

6.2.2 **o"K 2005&06 I s 2009&10 ds vxys ikp o"K** के लिये **vk n'kd i inkupku** के लिये, ये तीनों संस्थायें **jkfo-vk** की तुलना में अधिक सक्षम हैं, क्योंकि उनके पास आंकड़ों तक बेहतर पहुँच तथा दक्ष एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों के रूप में बेहतर साधन उपलब्ध हैं।

6.2.3 अब हम ऊपर संदर्भित तीन पूर्वानुमानों की समीक्षा करेंगे। प्रथमतः हम राज्य सरकार द्वारा **XII09 fo-vk** को प्रस्तुत अपने स्मरण-पत्र में शामिल किये पूर्वानुमानों का परीक्षण करेंगे।

6.3.0 राज्य सरकार द्वारा किये गये पूर्वानुमान :

6.3.1 राज्य ने पहले कतिपय मान्यताओं के आधार पर अपने राजस्व व्यय के पूर्वानुमानों का प्रयास किया। राजस्व व्यय निर्धारित करते समय राज्य सरकार का प्रमुख दृष्टिकोण अपने एवं अपेक्षाकृत अन्य गरीब राज्यों के व्यय के स्तर को राष्ट्रीय औसत तक उठाना रहा है। इस दृष्टिकोण का अर्थ होगा, केन्द्र से कम विकसित राज्यों को भारी राशियों का हस्तांतरण। राज्य सरकार ने राज्य के वन संसाधनों के संदर्भ में अपनी विशिष्ट लागत अयोग्यताओं की मान्यता भी की है, कि विभिन्न जन-बस्तियों के बीच लम्बी दूरियों एवं कठिन भू-रचना एवं भू-प्रदेश के कारण लोगों को विभिन्न आर्थिक एवं अन्य सेवायें उपलब्ध कराने में तथा राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी के कारण अतिरिक्त लागत आती है। **dy jktLo&0; ; dks I kekl; I okvkj I kekt d I okvkj vkfFkd I okvka , oa LFkkuh; fucl; ka dks {kfri firZ , oa I kfi s x; s dk; ka ea oxhbr fd; k x; k gA** चूँकि ब्याज भुगतान एवं स्थानीय निकायों को सौंपे गये राजस्व की प्रत्येक राज्य में अपनी पृथक विशेषतायें हैं, अतः पूर्वानुमान करते समय इन मदों को मुख्य दो वर्गों में शामिल करना उपयुक्त नहीं होगा।

6.3.2 इन मान्यताओं पर आधारित राज्य सरकार के पूर्वानुमान निर्दिष्ट करते हैं, कि राष्ट्रीय स्तर के औसत प्रति व्यक्ति व्यय तक पहुँचने के लिये प्रत्येक सेवा की आवश्यक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय हस्तांतरणों में भारी वृद्धि की आवश्यकता होगी। वर्ष 2002-03 के राजस्व एवं व्यय के आंकड़ों को आधार वर्ष आँकड़े मानते हुये सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाले शुद्ध व्यय, ब्याज के अतिरिक्त के पूर्वानुमान ऐसे स्तरों पर किये गये हैं, जिससे वर्ष 2009-10 के अंत तक ये सेवायें राष्ट्रीय औसत तक पहुँच सकें। **v/; ; u ds vuq kj vuqfur vkj r of) nj I kekl; I okvka ds fy; s 23% I kekt d I okvka ds fy; s 15% rFk vkfFkd I okvka ds fy; s 11% gA** हाल के भूतकाल एवं वर्तमान वृद्धि दरों की जानकारी के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है, कि ये प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात किये गये हैं। इन वांछित वृद्धि दरों को

विस्तृत वन क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जनसंख्या में अधिक प्रतिशत से उत्पन्न लागत अयोग्यताओं का समावेश करते हुये, बढ़ाकर सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के लिये क्रमशः 27%, 20.10% एवं 17.80% किया गया है। यहाँ भी यह स्पष्ट नहीं है, कि लागत-अयोग्यताओं का मापन किस प्रकार किया गया है। अतएव विभिन्न श्रेणी की सेवाओं की वृद्धि दरों के पूर्वानुमानों का आकलन वस्तुपरक नहीं है।

6.3.3 यद्यपि बजट में, ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं का ही एक भाग होता है, फिर भी उनकी वांछित वृद्धि दर का पृथक से पूर्वानुमान 12% किया गया है। उच्च ब्याज दर की मान्यता इसलिये रखी गयी है, कि तत्कालीन **el; insk** राज्य की देनदारियों का, उत्तराधिकारी राज्यों में अभी तक विभाजन नहीं हुआ है तथा पूर्व ऋणों पर वर्तमान की तुलना में ब्याज दर अधिक है।

6.3.4 **LFkkh; fudk; ka dks {kfrirz ,oa l k s x; s jktLo 0; ; ea 11-18% ifro"iz dh of) dh ekU; rk dh xbZ gA** यह वह दर है, जिस पर राज्य के कर-राजस्व में वृद्धि अपेक्षित है, क्योंकि इस मद में व्यय की वृद्धि कर राजस्व में वृद्धि के बराबर संभावित होगी। यह मान्यता अवांछित प्रतीत होती है।

6.3.5 इस अभ्यास में आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के अधिकांश वर्गों के लिये राज्य की दसवीं योजना में दी गयी दरों पर आधारित उनके योजना व्ययों के पूर्वानुमानों से कुल राजस्व व्यय के गैर-योजना घटक को ज्ञात किया गया है। गैर-योजना व्यय के साथ राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व के पूर्वानुमानित आँकड़ों का उपयोग करके अंतरण के पूर्व का गैर-योजना घाटा ज्ञात किया गया है।

6.3.6 राज्य के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व के पूर्वानुमान के लिये कोई कार्यविधि विकसित नहीं की गई है। **l kj.kh Ø 6-1 में Aij nh xbZ dk; fof/k ds vuq kj] jkT; l jdkj }kjk fd; s x; s jktLo 0; ; ds iwkupeku** प्रस्तुत किये गये हैं। अभ्यास में 2005 से 2010 की संपूर्ण पाँच वर्ष की अवधि के लिये रूपये 28324 करोड़ के गैर-योजना राजस्व घाटे का पूर्वानुमान किया गया है,

जिसमें घाटा 2005-06 के रूपये 2451 करोड़ से लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2009-10 में रूपये 9607 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय के लक्ष्यों को राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने से राजस्व व्यय स्वयं की राजस्व प्राप्तियों के पूर्वानुमानों, जिन्हें कम आँका गया है, की तुलना में अत्यधिक बढ़े-चढ़े हो गये हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि पूर्व में लिखा गया है, स्वयं की राजस्व-प्राप्तियों के पूर्वानुमानों के लिये किसी कार्यविधि का विकास नहीं किया गया है। यह जानकर आश्चर्य होता है, कि जहाँ राज्य सरकार के द्वारा तैयार किये गये अपने स्मरण-पत्र में 2005-06 से 2009-10 के लिये पूर्वानुमान घाटा रूपये 28324 करोड़ दर्शाया गया है, वहीं **^jkt; I jdkjka }kjk mi yC/k djk; s x; s i wkupekuka** नामक, **xii0a fo-vk** के प्रतिवेदन के **vuyxud&6-1**] पृष्ठ 283, में यह घाटा रूपये 8695 करोड़ बताया गया है। जिसका परिकलन **I kj.kh Ø- 6-1 ¼½** के अनुसार किया गया है ।

उपर्युक्त अंतरण-पूर्व के रूपये 8695 करोड़ के घाटे का परीक्षण रूपये 28324 करोड़ के घाटे (स्मरण-पत्र पृष्ठ 57) एवं रूपये 1352.90 करोड़ के **xii0a** आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये परिकलित घाटे के संदर्भ में करना होगा। **pfid jkt; dks dj vdk dk vuqka l r glrkarj.k fo-vk- }kjk vuqfur ?kVs I s vf/kd g\$ vr% vk; ks us jkt; dks jktLo&varjky dh i firz djus ds fy; s fdllgha I gk; rk vuqkuka dh vuqka k ugha dh g**

6.4.0 XII वें वित्त आयोग द्वारा तैयार पूर्वानुमान :

6.4.1 चूँकि **xii0k fo-vk** पूर्णतयः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये गये पूर्वानुमानों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। अतः उसने प्रत्येक राज्य के राजस्व एवं व्यय का अपना स्वयं का आकलन करने का निर्णय लिया। **xii0a fo-vk** का मुख्य उद्देश्य अंतर्राज्यीय साम्यता सुनिश्चित करना एवं अनावश्यक प्रोत्साहन से बचना था। कोई भी राज्य अपनी राजकोषीय क्षमता की कमी से अधिक हिस्सेदारी की माँग नहीं कर सकता। पूर्वानुमान करते समय आयोग ने वृहत एवं सूक्ष्म के मिले जुले दृष्टिकोण को अपनाया है।

- 6.4.2 सर्वप्रथम आयोग ने, छत्तीसगढ़ राज्य के स.रा.घ.उ. के पूर्वानुमान तैयार किये, क्योंकि **I -jk?km- jkT; I jdkj dh I k/ku t/kus dh {kerk dk |krd gS rFkk I kFk gh og pps gg s vkfFkd fodkl & iFk ij c<us ds fy; s 0; ; ds vko'; d Lrj dk Hkh vkHkl djkrk g** चँकि राज्य के स.रा.घ.उ. के अनुमान वर्ष 2002–03 तक के लिये उपलब्ध थे। अतः आयोग ने चालू मूल्यों पर 11% औसत वार्षिक वृद्धि दर की मान्यता पर, वर्ष 2009–10 तक के लिये पूर्वानुमान तैयार किये।
- 6.4.3 **jkT; ds Lo; a ds dj jktLo] I -jk?km- ifr'kr** पूर्वानुमान, वर्ष 2005–10 की अवधि के लिये राज्य वित्त की अपनी पुनर्रचना योजना के अनुसार किये गये हैं। **Lo; a ds xj&dj jktLo** को एक सम्मिलित वर्ग मानते हुये, उसके पूर्वानुमान नहीं किये हैं। उसके विभिन्न मदों का पृथक–पृथक पूर्वानुमान किया गया है। मदों में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, रॉयल्टी, वन राजस्व, खनिज राजस्व, विविध सामान्य सेवायें, सिंचाई से प्राप्तियाँ एवं अन्य मद शामिल हैं।
- 6.4.4 **xj&;kstuk jktLo 0; ; ds l &dk** में पूर्वानुमान मद–वार किये गये हैं। इनमें सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें, आर्थिक सेवायें एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं सौंपा गया राजस्व शामिल है। इन वर्गों के अंतर्गत ब्याज भुगतान, सामान्य सेवाओं के अंतर्गत पेंशन तथा सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भवनों का रख–रखाव तथा आर्थिक सेवाओं में सड़कों को पृथक से लिया गया है।
- 6.4.5 समस्त राज्यों द्वारा तैयार अंतरण पूर्व घाटे के संदर्भित अवधि के लिये पूर्वानुमान रूपये 924497 करोड़ के थे, जबकि ये **XII 09 fo-vk-** द्वारा 329870 करोड़ अनुमानित थे, जो राज्यों द्वारा दिये गये अनुमानों के लगभग एक–तिहाई थे। वर्ष 2005–10 की अवधि के लिये अंतरण–पूर्व घाटों की अनुमानित राशि रूपये 5685 करोड़ के आधार पर **XII 09 fo-vk-** ने अधिनिर्णय अवधि के लिये केवल 15 राज्यों को गैर–योजना राजस्व घाटों की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 5685 करोड़ के

सहायता-अनुदानों की अनुशंसा की। कुछ अन्य राज्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य को अंतरण-बाद की अवधि में कर हिस्सेदारी के रूप में केन्द्र से हस्तांतरण के फलस्वरूप होने वाले अतिरेक के कारण राजस्व-घाटे की पूर्ति हेतु किसी गैर-योजना अनुदान की अनुशंसा आयोग ने नहीं की। इसके अतिरिक्त वि.आ. ने विभिन्न राज्यों को शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सड़कों एवं पुलों के रख-रखाव, सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव, पुरा-संपदा संरक्षण तथा अन्य राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिये विशिष्ट सहायता अनुदानों की अनुशंसा की है।

6.4.6 **NRrh x<+ jkT; ds fy; s XIIoa fo-vk- us vf/kfu.kZ vof/k ds fy; s dthh; djka ea fgLI nkjh , oa fof'k"V l gk; rk vumku ds : i ea l kj.kh Ø- 6-1 ½ea fn; s vuq kj gLrkaj.kka dh vuqka k dh g**

राज्य विशेष अनुदान दो कार्यों के लिये है – (i) राज्य की राजधानी रायपुर का विकास, रुपये 200 करोड़ तथा (ii) राज्य पुलिस के हथियार एवं असलाहा, साज-सज्जा, गाड़ियाँ एवं संचार प्रणाली के सुधार एवं उन्नयन के द्वारा राज्य की पुलिस अधोसंरचना में सुधार के लिये, रुपये 100 करोड़।

6.4.7 गैर-कर राजस्व के व्यक्तिगत मदों के पूर्वानुमानों के लिये **XIIoa fo-vk-** ने राजस्व वृद्धि दरों का आँकलन निम्नानुसार किया है :-

- (1) ब्याज एवं लाभांश प्राप्ति, लम्बित ऋणों एवं अग्रिमों पर 7% एवं अंश पूँजी पर 5% का लाभ,
- (2) खनिजों पर रॉयल्टी वृद्धि दर 5% प्रतिवर्ष,
- (3) वनों से प्राप्ति, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वन संपदा के शोषण पर रोक लगाई हुई है, अतः 2003 से 2005 की तीन वर्ष की अवधि के औसत राजस्व को इस स्रोत के राजस्व के पूर्वानुमानों का आधार बनाया है,

- (4) विविध सामान्य सेवाओं से प्राप्त होने वाला राजस्व 5% प्रतिवर्ष,
- (5) सिंचाई से प्राप्तियाँ लागत की वसूली का प्रतिशत 2005-06 में 50%, 2006-07 में 60%, 2007-08 में 70%, 2008-09 में 80% एवं 2009-10 में 90%।
- (6) अन्य गैर-कर राजस्व, सामान्य सेवाओं से प्राप्तियों में 12.5% वार्षिक वृद्धि तथा प्रत्येक आर्थिक एवं सामाजिक सेवा से 25% वार्षिक वृद्धि, इसका उद्देश्य है, कि पूर्वानुमान अवधि में लागत वसूली अधिक हो।

6.4.8 **राज्य सरकार** ; **आयोग** ने गैर-योजना राजस्व व्यय में कुछ कमी की माँग की है, परन्तु राजस्व व्यय के अन्य घटकों में वृद्धि का प्रावधान किया है। ये घटक हैं : शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, सड़कों, पुलों एवं भवनों का रख-रखाव। ब्याज भुगतान के लिये वर्ष 2004-05 को आधार वर्ष मानकर उस पर 10% वार्षिक वृद्धि दर का प्रावधान है। राज्यों के लिये मौद्रिक ब्याज दरों में गिरावट की संभावना बताई गई है। राज्य ऋण अदला-बदली कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। आयोग ने पूर्वानुमान की अवधि के लिये, पेंशन मद में 10% वार्षिक वृद्धि अनुमानित की है।

6.4.9 **शिक्षा** ; **लोक स्वास्थ्य** में 5% वार्षिक एवं लोक स्वास्थ्य में 7% वार्षिक वृद्धि दर। इन दोनों में से प्रत्येक सेवा में गैर-वेतन व्यय में 30% की उच्च वृद्धि दर। वेतन एवं गैर-वेतन व्ययों को मिलाकर सामान्य शिक्षा के लिये समेकित 9.5% एवं लोक स्वास्थ्य के लिये 11.5% की वृद्धि दर का प्रावधान किया गया है।

सड़कों एवं पुलों का रखरखाव-पूर्वानुमान अवधि में 5% वार्षिक वृद्धि,

अन्य सामान्य सेवायें — 7% वार्षिक वृद्धि दर,

अन्य सामाजिक सेवायें — 10% वार्षिक वृद्धि दर,

अन्य आर्थिक सेवायें — 10% वार्षिक वृद्धि दर।

6.5.0 छत्तीसगढ़ राज्य के लिये XII वें वित्त आयोग द्वारा किये गये पूर्वानुमान :

6.5.1 **1 kj .kh Ø- 6-2 में XII09 fo-vk- }kjk NRrhl x<+jKT; ds fy; s r\$ kj fd; s x; s i wkupekku fn; s x; s g&A**

6.5.2 वित्त आयोग ने स्वीकार किया है, कि राज्यों की क्षमताओं एवं लागतों को प्रभावित करने वाले आयामों में भिन्नताओं एवं संबंधित समकों की उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण पूर्णतः **vk n'kd n f'Vdksk** अपनाना संभव नहीं होगा। इस विचार के संदर्भ में संभव है, 2005-10 की अवधि के लिये वि.आ. के पूर्वानुमान वास्तविकता से मेल न खायें। उसकी पुनर्रचना योजना में, विभिन्न राजकोषीय चरों के लिये सभी राज्यों के औसत के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। संभव है, ये औसत राज्यों के विभिन्न राजकोषीय चरों के वास्तविक व्यवहार एवं पूर्वानुमान अवधि के लिये किये जाने वाले प्रक्षेपणों के अनुरूप न हों। इसी प्रकार के प्रक्षेपण **XI09 fo-vk-** ने किये थे, परन्तु **XII09** वि.आ. द्वारा की गई समीक्षा में ज्ञात होता है, कि राज्यों ने इन लक्ष्यों का पालन नहीं किया। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है, कि **XII09 fo-vk-** द्वारा सुझायी पुनर्रचना योजना राज्यों को अपने वित्त की पुनर्रचना के कार्य में सामान्य मार्गदर्शक दिशाये दे सकती है।

6.6.0 नेशनल काउन्सिल ऑफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर.), नई दिल्ली द्वारा किये गये पूर्वानुमान 2003 :

6.6.1 योजना आयोग के आदेश पर एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा किये गये, **jKT; foRr ds v/; ; u % NRrhl x<+ fodkl** ने, राज्य के विकास परिदृश्य के विश्लेषण के अतिरिक्त राज्य को उच्च वृद्धि दर के विकास पथ पर लाने के लिये वित्तीय साधनों को बढ़ाने के अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं। अनेक मान्यताओं पर आधारित, यह एक उच्च स्तरीय तकनीकी अभ्यास है, जिसमें गणितीय समीकरणों एवं मॉडलों को उपयोग किया गया है। अध्ययन में 2002-03 से 2010-11 की अवधि के लिये पूर्वानुमान किये गये हैं। राज्य के वित्तीय पूर्वानुमानों के लिये तीन

परिदृश्यों की कल्पना की गई है : (i) सामान्य व्यापार, (ii) वृद्धि के साथ सामान्य व्यापार एवं (iii) सुधारों के साथ वृद्धि।

6.6.2 तीनों परिदृश्यों की संक्षिप्त अवस्थायें निम्नानुसार हैं :-

Ø-	pj	I kekl; 0; ki kj	of) ds I kFk I kekl; 0; ki kj	I qkkj ds I kFk of)
1	स्वयं के कर राजस्व वृद्धि हेतु प्रयास	नहीं	नहीं	हाँ
2	पूर्वानुमानित स.रा.घ.उ.वृद्धि	3.29%	6.0%	6.0%
3	पूँजी निवेश, स.रा.घ.उ.के % में	1.57%	2.4%	4.0%
4	गैर-ब्याज राजस्व-व्यय वृद्धि दर	25.9% 2001-02 से 03-04 का औसत	25.9%	10.0%

अध्ययन में छत्तीसगढ़ के लिये 60% वार्षिक वृद्धि दर, जो योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य है, की मान्यता रखी गई है। 6.0% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये, राज्य का अनुमानित पूँजीगत व्यय स.रा.घ.उ. का 2.4% है, जो बढ़कर 4.0% होना चाहिये। राज्य के लिये आवश्यक निवेश 2004-05 के लिये स.रा.घ.उ.के 35% एवं शेष अवधि के लिये 25% बताया गया है, यह इस मान्यता के साथ है, कि अधिकांश निवेश राज्य के औद्योगिकरण पर होगा। राज्य के लिये समग्र निवेश निर्धारित करने के बाद केन्द्र, राज्य एवं निजी क्षेत्रों में वित्तीय साधनों का विभाजन दर्शाया गया है।

6.6.3 निम्न पाँच प्रकार के पूर्वानुमान किये गये हैं :-

1. राजकोषीय स्वरूप अ – सामान्य व्यापार परिदृश्य,

2. राजकोषीय स्वरूप ब – वृद्धि के साथ सामान्य व्यापार तथा पूँजी व्यय, सीमान्त पूँजी-उत्पाद अनुपात प्रणाली से,
3. राजकोषीय स्वरूप स – वृद्धि के साथ सामान्य व्यापार तथा दिये गये वृद्धि मॉडल के अनुसार पूँजी व्यय,
4. राजकोषीय स्वरूप द – सुधार परिदृश्य, आई.सी.ओ.आर. प्रणाली से पूँजी व्यय के साथ,
5. राजकोषीय स्वरूप ई – सुधार परिदृश्य तथा दिये गये वृद्धि मॉडल के अनुसार पूँजी व्यय।

विभिन्न परिदृश्यों में प्रमुख अंतर वृद्धि संबंधी मान्यताओं, राजस्व वसूली में वृद्धि हेतु राज्य द्वारा किये गये प्रयास, तथा गैर-ब्याज राजस्व व्यय में कमी है।

6.6.4 अध्ययन यह अनुशंसा नहीं करता, कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिये कौन सा परिदृश्य उपयुक्त होगा। विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत पूर्वानुमानों के लिये अध्ययन में घुमावदार रास्ते अपनाये गये हैं, जो अनेक स्थानों पर अस्पष्ट हैं। कुल मिलाकर अधिकांश मान्यतायें अवांछित हैं। अध्ययन में निजी निवेश पर भारी बल दिया गया है, जो पूर्व परिपाटी से स्पष्टतः भिन्न है। इसमें निवेश के क्षेत्र-वार आबंटन के लिये सुझाव नहीं हैं तथा क्षेत्रीय वृद्धि दरों की अवहेलना की गई है। यह अत्यधिक समूहीकृत है।

6.7.0 छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग द्वारा किये गये पूर्वानुमान :

6.7.1 *jktLo , oa 0; ; ds i wklupkuka ds fy; s geus eq; r% XII oa fo-vk- }kjk fodfl r dk; fof/k viuk; h g\$ jkT; ds jkt dks'kh; ifjn"; ds vuq i dby dN l dks'ku fd; s g\$* यह वृहत एवं सूक्ष्म दोनों दृष्टिकोणों का मिश्रण है। यद्यपि विचाराधीन विषयों के अनुसार आयोग से केवल *jktLo yfks ds jktLo , oa 0; ; ds i wklupkuka* की अपेक्षा की गई है, आयोग ने पूँजीगत प्राप्तियों एवं पूँजीगत व्यय को शामिल कर पूर्वानुमानों का क्षेत्र बढ़ा लिया है।

आयोग ने ऐसा राज्य वित्त की समग्र स्थिति जानने तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों की राशि ज्ञात करने के उद्देश्य से किया। इस कार्य के लिये हमें राज्य के सार्वजनिक ऋण का भी संक्षिप्त संदर्भ देखना आवश्यक हुआ। दूसरे शब्दों में, **geus v/; ; u ea jktLo , oa i pth nksuka yskks dks 'kkfey dj jkT; foRr dk ml dh l a wkkk ea fo'yšk.k iLrq djus dk iz kl fd;k gA**

- 6.7.2 इस अध्ययन में हमने, जिन अन्य अभिकरणों के पूर्वानुमानों की समीक्षा की है, उनकी तुलना में हमारे द्वारा अपनायी गयी कार्यविधि अधिक वास्तविक एवं जमीनी स्थितियों के नज़दीक प्रतीत होती है तथा इसलिये क्रियान्वित करने योग्य है। वास्तव में राज्य सरकार के पूर्वानुमानों में किसी कार्यविधि का कोई संकेत नहीं है। **xii oa fo-vk** द्वारा सुझायी गयी कार्यविधि, यद्यपि स्वागतयोग्य है, परन्तु संभवतः वह राज्य की वास्तविकता के अनुरूप नहीं होगी, क्योंकि उसमें पृथक-पृथक राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने के लिये विभिन्न राजकोषीय चरों के औसत निर्धारित किये गये हैं। हम यह दावा नहीं करते, कि हमारा दृष्टिकोण त्रुटि-रहित है। उसकी अपनी सीमायें एवं कमियाँ हैं। हम उसके अनूठा होने का भी दावा नहीं करते, परन्तु दी हुई परिस्थितियों में यह लागू करने योग्य है, क्योंकि यह राज्य के राजकोषीय चरों के वास्तविक व्यवहार पर आधारित है।
- 6.7.3 प्रथमतः हमने वृहत दृष्टिकोण अपनाते हुये, राज्य के स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय समूहों एवं उप-समूहों के पूर्वानुमान किये हैं। अगले अध्याय में हम सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनायेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्य के राजस्व एवं व्यय के विभिन्न व्यक्तिगत घटकों के पूर्वानुमान हाल के भूतकाल में, इन चरों के वास्तविक दृष्ट व्यवहार तथा प्रवृत्ति सूचक वृद्धि दर के आधार पर करेंगे।
- 6.7.4 हमारा प्रथम कार्य अध्ययन अवधि के उन वर्षों के लिये, जिनके लिये ऐसे अनुमान उपलब्ध नहीं हैं तथा समस्त पूर्वानुमान अवधि के लिये भी राज्य के स.रा.घ.उ. के पूर्वानुमान तैयार करना है। स.रा.घ.उ. संबंधी समय श्रृंखला समंक राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय के द्वारा केवल वर्ष 2002-03 (वास्तविक) तक के

लिये उपलब्ध कराये गये हैं, परन्तु हमें इस वर्ष के आगे की अवधि के लिये साधन लागत पर स.रा.घ.उ. के समकों की आवश्यकता थी। अतएव हमें वर्ष 2003-04 से 2009-10 की अवधि के लिये, इन समकों का पूर्वानुमान करना पड़ा, जिससे अधिनिर्णय एवं पूर्व-अधिनिर्णय अवधि दोनों के लिये समंक मिल सकें। पूर्वानुमान स. रा.घ.उ. में वर्तमान मूल्यों पर कतिपय वृद्धि-दर पर आधारित होंगे। पूर्वानुमान अवधि के लिये *XII 09 fo-vk* ने विभिन्न राज्यों के स.रा.घ.उ. अनुमान संबंधित राज्यों की प्रक्षेपित वृद्धि दरों के आधार पर किये हैं। आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिये 2005-10 की अवधि के लिये 11% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर का आकलन किया है। हमने 18% वार्षिक की इस औसत वृद्धि दर का स.रा.घ.उ. के अपने पूर्वानुमानों के लिये उपयोग किया है। औसतन 6% प्रतिवर्ष की औसत मुद्रास्फीति दर का समायोजन करने के बाद इस दर से हमें 12% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर प्राप्त होगी। अतः यह राज्य के द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली प्रतीत होती है।

6.7.5 हमने अपने पूर्वानुमानों को राज्य में पिछले पाँच वर्षों 2001-02 से 2005-06 के संबंधित राजकोषीय चरों के दृष्ट व्यवहार पर आधारित किया है। जहाँ कहीं दृष्ट व्यवहार की संख्या *XII 09 fo-vk* द्वारा राज्यों के औसत के रूप में दी गई संख्या से अधिक प्राप्त हुई, वहाँ हमने आयोग की संख्या न लेकर वास्तविक संख्या ली है, परन्तु जहाँ दृष्ट संख्या सुझायी गई संख्या से कम थी, वहाँ हमने सुझायी गई संख्यायें ली हैं तथा उनका पर्याप्त औचित्य दिया है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ सुझायी गयी संख्यायें दृष्ट संख्याओं से कम हैं, हमने उस संख्या को लिया है, जो वर्ष 2001-02 से 2005-06 के पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष में अधिकतम थी।

6-8-0 I *engka* , *oami* & I *engka ds i wklupku grqvi uk; h xbl dk; Tof/k %*

6.8.1 *Lo; a ds dj jktLo ds i wklupku %XII 09 fo-vk* ने सभी राज्यों के लिये 2009-10 तक प्राप्त करने के लिये सभी राज्यों के औसत के रूप में *Lo; a ds dj jktLo dk I -jk-?k-m-* से 6.8% के *vuij kr* का लक्ष्य निर्धारित किया है। अपने राज्य में इस अनुपात की वास्तविक राशि *XII 09 vk; ksx* द्वारा सुझायी गई राशि से

अधिक है। वर्ष 2001-02 से 2005-06 की अवधि के लिये औसत स्वयं के **dj jktLo I-jk?k-m- dk vuqkr** 7.27% है, जो **XII09 fo-vk-** के 6.8% से अधिक है। अतः हम पूर्वानुमानों के लिये 7.27% के अनुपात का उपयोग कर सकते थे, परन्तु हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे भी ऊँची एक दर 7.37% उपलब्ध थी। **XII09 fo-vk-** के सुझाव के अनुसार इस अनुपात की वृद्धि दर 0.17% प्रतिवर्ष है। हमारे अनुपात ने 0.20% प्रतिवर्ष की वृद्धि दर दर्शायी है। अतएव हमने स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर के पूर्वानुमान 7.37% की इस उच्चतम दर के आधार पर किये हैं, जो राज्य में प्राप्त हो चुकी है तथा औसत वृद्धि दर पर नहीं। **vr, o iwklupeku , d s fd; s x; s gfd o'kz 2009&10 rd Lo; a ds dj jktLo I-jk?km- ea 9-51% gks l d; ; gh ml dh i dfr nj Hkh gkskhA** इस अनुपात के आधार पर प्राप्त स्वयं के कर राजस्व के पूर्वानुमान **I kj.kh Ø- 6-3** में दिये गये हैं।

6.8.2 **Lo; a ds xj&dj jktLo ds iwklupeku % XII09 fo-vk-** के विचारानुसार पूर्वानुमानित दर 2004-05 में सरा.घ.उ. के 1.2% से बढ़कर 2009-10 में 1.4% होगी, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 0.03% होगी। हमने राज्य के स्वयं के राजस्व के इस घटक के पूर्वानुमान इस दर की तुलना में काफी अधिक दर पर किये हैं 3.03% प्रतिवर्ष, जिसे राज्य पिछले 5 वर्षों में से 1 वर्ष में प्राप्त कर चुका है, न कि 2.77% की दृष्ट औसत वृद्धि दर तथा **XII09 fo-vk-** द्वारा सुझायी गई 1.4% की निम्न दर पर। **ftl l s jkT; dk xj dj jktLo] I-jk?k-m- vuqkr** 2009-10 तक उच्च वृद्धि दर को प्राप्त कर सके। **gekjs }kjk l qk; h xbz jkf'k; ka ds mi ; lx l sgeal kj.kh Ø- 6-4 ds vuq kj ifj.kke iklr gksrsg**

6.8.3 **jkT; dk Lo; a dk jktLo ½dj \$xj&dj ½% XII09 fo-vk-** ने वर्ष 2009-10 के लिये **Lo; a ds jkTKLo] I-jk?k-m-** के अनुपात 8.2% का सुझाव दिया था, जो 2004-05 के 7.10% से बढ़कर यहाँ तक पहुँचता। हमने राज्य के स्वयं के राजस्व के पूर्वानुमानों के लिये 2004-05 के लिये 10.17% का अनुपात लिया है, जो

2009-10 तक बढ़कर 12.46% होगा। ; s l 4; k Lo; a ds dj , oa xj&dj
jktLo dk l eghdj.k dj iklr gplz gñ iklr vkadM l kj.kh Ø 6-5 ea
n'kkz s x; s gñ

6.8.4 **dhnz l s glrkrj.k %** जहाँ तक राज्य की राजस्व प्राप्तियों के इस घटक का संबंध है, इस हेतु हमने पहले केन्द्रीय हस्तान्तरण योग्य राशि का पूर्वानुमान किया और फिर उसमें राज्य के अंशदान को प्राप्त किया। ये हस्तांतरण 2004-05 के स.रा.घ.उ. के 6.31% से बढ़कर 2009-10 में 8.09% होने के पूर्वानुमान हैं।

6.8.5 **jktLo 0; ; %xii oñ fo-vk** की अनुशंसा है, कि राज्य के गैर-योजना व्यय को वर्ष 2004-05 के स.रा.घ.उ. के 13.6% से घटाकर 2009-10 में 13.2% किया जाय, क्योंकि **xii oñ fo-vk** का संबंध गैर-योजना राजस्व घाटे से है, अतः उसने केवल गैर-योजना व्यय पर ध्यान दिया है, जबकि **jk-fo-vk** राजस्व एवं राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के लिये कुल राजस्व व्यय पर ध्यान दे रहा है। हमने कुल राजस्व व्यय को (i) गैर-योजना एवं (ii) योजना राजस्व व्यय में असमूहीकृत किया है। राज्य का गैर-योजना राजस्व व्यय 2004-05 के लिये **xii oñ fo-vk** द्वारा आकलित 13.6% के औसत से कुछ कम 12.47% है, जिसकी राज्य में और कम होने की आशा है, अतएव हमने **xj&; kstuk jktLo 0; ;] l-jk?k-m-** के सबसे कम **11-47%** के अनुपात को लेने का निर्णय लिया है। हमने इस अनुपात को पूर्वानुमान की संपूर्ण अवधि के लिये 11.47% पर स्थिर रखा है, परन्तु गैर-योजना राजस्व व्यय को आबंटित वास्तविक राशि में प्रतिवर्ष स.रा.घ.उ. में वृद्धि के कारण वृद्धि होगी। योजनागत राजस्व व्यय के पूर्वानुमानों के लिये हमने 4.97% (अधिकतम) का अनुपात लिया है, जो बढ़कर 2009-10 तक 65.1% होने का पूर्वानुमान है। इस सुझायी गई कार्यविधि के उपयोग से हमें **jkT; dh xj&; kstuk , oa ; kstuk 0; ; ka dh ioklupku vof/k ds fy; s iklr jkf'k; ka** को l kj.kh Ø 6-6 में **n'kkz k x; k gñ**

6.8.6 हम गैर-योजना एवं योजना दोनों के लिये अधिक राजस्व व्यय की अनुशंसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, जो अत्यन्त कमजोर अवस्था में हैं, के लिये अधिक राशि आबंटित करना **gñ ge c<rs gq s ; kst uk jktLo 0; ; ds fy; s Hkh i ko/kku dj jgs gñ D; kñd ; kst uk 0; ; ds vkdkj dks dkQh c<kuk pkgrs gñ** अगले परिच्छेद में हम जब अधिक पूँजीगत व्यय का प्रस्ताव करेंगे, तो उनके लिये अधिक योजनागत राजस्व व्यय की भी आवश्यकता होगी। इससे सरकार योजनाओं के अंतर्गत निर्मित अस्तियों के रख-रखाव के लिये अधिक राशियों का आबंटन कर सकेगी।

6.9.0 आत्म-निर्भरता का निर्देशांक :

6.9.1 हमारे द्वारा किये गये राजस्व एवं व्यय के पूर्वानुमानों से हमें ज्ञात होता है, कि **vkRe&fullkjrk funñkkad] tks jkT; I jdkj ds Lo; a ds jktLo ea jktLo 0; ; I s Hkkx nsus ij i klr gkrk gñ ea I qkkj gqvk gñ** हमारे द्वारा किये गये राजस्व के पूर्वानुमान बताते हैं, कि **jkT; ds Lo; a ds jktLo ea bl I hek rd of) gksxhj fd og jkT; ds jktLo 0; ; ea c<rs gq s ifr'kr ea LFkku ik I dñ** इसे **I kj.kh Ø- 6-7** में प्रस्तुत किया गया है।

vkRe&fullkjrk funñkkad] जो 2001-02 में 55.26% था, निरंतर बढ़ते हुये 2004-05 में 62.96%, 2005-06 में 64.18% एवं 2009-10 में 69.32% दर्शाया गया है, यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति है। पूर्वानुमान की हमारी योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, कि इसमें गैर-योजना राजस्व व्यय में बेरहमी से वृद्धि की अनुमति नहीं है, जैसा कि हाल ही में अनेक राज्यों में देखा गया है। **xjñ; kst uk jktLo 0; ; dks ml h I hek rd c<us dh vuøfr nh tk; xhj t gk; og jkT; dh I-jk?km- ea of) I s I lko gks I dñ** इसके लिये दूसरी ओर योजनागत राजस्व व्यय जो 2004-05 में सरा.घ.उ. का 3.68% था, में बढ़ती हुई दर पर वृद्धि की अनुमति दी गई है, जिससे वह 2009-10 में 6.51% हो सके। इस

वृद्धि का प्रावधान पूँजीगत निवेश एवं रख-रखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया गया है। इससे राज्य सरकार का उत्तरदायित्व अत्यधिक बढ़ जाता है, कि वह अपने उपभोग व्यय को नियंत्रण में रखे।

6-10-0 **ixth** **ixth** **ixth** :

- 6.10.1 पूँजीगत लेखे में राज्य की स्थिति सुखद है। **31 ekpl dks jkT; dk yfcr __.kj** **l -jk?km- ds ifr'kr** में **l kfj.kh Ø- 6-8** के अनुसार था। दोनों श्रेणियों के राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति अधिक सुखद है।
- 6.10.2 **C; kt+Hkqrkuka ea dgy i kflr; ka ds ifr'kr ds : i ea deh gks jgh gS** जो **l kfj.kh Ø- 6-9** से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य के ब्याज भुगतान में आगे भी और कमी हुई है तथा 2005-06 (सं.अ.) में यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 11.74% अनुमानित है। कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्य के औसत ब्याज भुगतान गैर विशेष श्रेणी राज्यों तथा देश के सभी राज्यों के औसत की तुलना में कम है।
- 6.10.3 **XII0a fo-vk-** के अनुसार 31.3.04 तक स्वीकृत ऋणों की लंबित राशि तथा 2005-06 से 2009-10 के बीच ऋण वापिसी की स्थिति को मिलाकर रुपये 716.35 करोड़ होते हैं, जो बहुत अधिक नहीं है। सार्वजनिक ऋण, लंबित भुगतान एवं ब्याज भुगतान के भार की स्थिति से स्पष्ट होता है, राज्य के पूँजी बजट संबंधी संतोषजनक निष्पादन के संदर्भ में, हमारे मत में राज्य के लिये पूँजीगत व्यय को बढ़ाने की दृष्टि से देशी एवं विदेशी दोनों पूँजी बाजारों से राशि जुटाने की पर्याप्त संभावनायें हैं। अपने वर्तमान राजकोषीय स्वास्थ्य के आधार पर राज्य निवेश वृद्धि के लिये पूँजी उधार लेने के यथोचित कार्यक्रम को प्रारम्भ कर सकता है।
- 6.10.4 राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ 2001-02 के रू. 1176.89 करोड़ से बढ़कर 2004-05 में रुपये 1256.83 करोड़ हो गयी। वृद्धि अधिकांशतः ऋण लेने से हुई। पूँजी बाजार की उत्प्लावकता तथा राज्य के उत्साहजनक राजकोषीय स्वास्थ्य के फलस्वरूप उसकी उधार लेने की बढ़ी हुई क्षमता को ध्यान में रखते हुये, हमने पूँजीगत

प्राप्तियों में 2005-06 के रूपये 2594.98 करोड़ से बढ़कर, 2009-10 में रूपये 5031.09 करोड़ होने का पूर्वानुमान किया है। स.रा.घ.उ.के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियों का 2005-06 से 2009-10 तक 5% का पूर्वानुमान है। इन प्राप्तियों का अधिकांश भाग विभिन्न स्रोतों से लिये गये ऋण होंगे। ऋण वसूली पर भी जोर दिया गया है एवं इसमें वृद्धि स.रा.घ.उ. की वृद्धि पर निर्भर होगी।

6.10.5 पूँजीगत प्राप्तियों से अधिक हमने पूँजीगत व्यय का पूर्वानुमान किया है। इस पूँजीगत व्यय के अधिकांश भाग का उद्देश्य राज्य की अधो-संरचना में सुधार करना होगा। बढ़े हुए पूँजीगत व्यय की पूर्ति राजस्व आधिक्य से की जा सकती है।

6.10.6 ऊपर सुझाई गई कार्यविधि एवं राजस्व, पूँजीगत व्यय के आधार पर राज्य की आवश्यकताओं तथा वित्तीय साधनों की संभावित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए,
geus jkt; ds jktLo , oa i pthxr nkuka y[ka ds jktLo , oa 0; ; ds i mklpekku r\$ kj fd; s g[I kj.kh Ø- 6-10] 2005&10 dh vof/k ds fy; s bu i mklpekku dks i Lr[djrh g[

6.11.0 राजस्व आधिक्य :

6.11.1 **I kj.kh Ø- 6-10** दर्शाती है, कि स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व आधिक्य 2005-06 में 0.75% से बढ़कर 2009-10 में 2.58% हो जाने का पूर्वानुमान है। इसका प्रमुख कारण कर राजस्व में अत्यधिक वृद्धि है। राज्य पूर्व वर्ष 2004-05 में भी स.रा.घ.उ. का 0.33% राजस्व आधिक्य प्राप्त कर चुका है।

6-12-0 jkt dks kh; ?kkVk %

6.12.1 **xii o[fo-vk** द्वारा सुझाई गयी, राज्य वित्त की पुनर्रचना योजना में राज्यों के राजकोषीय घाटे का 2004-05 के 4.5% से घटकर 2009-10 में 3% हो जाना बताया गया है। यह सभी राज्यों का औसत आँकड़ा है, साथ ही हमारे पूर्वानुमानों से प्राप्त राजकोषीय घाटे का स्तर अधिक ऊँचा नहीं है। भारत के राज्यों में राजकोषीय घाटे अत्यधिक रहे हैं। कुछ मामलों में तो यह स.घ.उ. के 7.5% से भी अधिक रहे हैं, जैसा कि **if'pe c[ky** में तथा 6.14% **i tlc** में। ये घाटे अधिकांशतः अधिक

राजस्व घाटों के फलस्वरूप रहे हैं, जो स्वयं प्रमुखतः राज्य सरकारों के बढ़ते हुए उपभोग व्यय के कारण बढ़े हैं, यह उचित नहीं है। हमारे द्वारा तैयार पूर्वानुमानों में ये 4.05% से घटकर 2009–10 में 2.98% होंगे, जिससे **XIIØ fo-vk** के लक्ष्य 3% तक पहुंचा जा सकता है। यह एक स्वस्थ राजकोषीय प्रवृत्ति है।

6.12.2 अनेक लोगों को राजकोषीय घाटे में वृद्धि परम्परा के विपरीत एवं अवांछित लगती होगी, परन्तु हमारे मत में प्रत्येक राजकोषीय घाटा बुरा नहीं है। हम इस बात से सहमत हैं, कि अधिक राजस्व घाटे से उत्पन्न अधिक राजकोषीय घाटा संघारण योग्य नहीं है। **fdl h Hkh Lrj dk .k&ikr i pth fuoškj tks C; kt nj l s vf/kd ifrykHk nrk g\$ /kkj.kh; gksxkA**

6.12.3 अर्थशास्त्री न तो विश्लेषणात्मक आधार पर और न तथ्यात्मक परिणामों के आधार पर इस विषय पर एकमत है, कि क्या सरकारी व्यय का वित्त पोषण राजकोषीय घाटे से करना, निवेश एवं आर्थिक वृद्धि पर उसके प्रभाव की दृष्टि से उचित है। मुख्य धारा के अर्थशास्त्रियों में **uo&ijEi jkoknh** विचारधारा राजकोषीय घाटे को निवेश एवं वृद्धि के लिये हानिकारक मानती है, **ijEi jkoknh vFkok fjdkfMž u** इसे तटस्थ मानते हैं। **dbLkh; u** दृष्टिकोण मानता है, कि ऐसे देश में जहाँ बेकार पड़े संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ ऋण-पोषित निवेश अथवा उपभोग, गुणक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन वृद्धि कर सकते हैं। कीन्स उपभोग व्यय को भी रोजगार निर्माण का कारक मानते हैं। **XIIØ fo-vk** का मत है, कि **vYi dky** में **dlwl** के दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है तथा **uo&ijEi jkoknh** दृष्टिकोण **nh?kdky** के लिये उपयोगी हो सकता है, परन्तु मध्यम कालीन राजकोषीय नीति तथा वित्त की पुनर्रचना योजना बनाते समय आयोग ने राजकोषीय घाटे को निवेश एवं वृद्धि के लिये हानिकारक मानते हुये, अल्पकाल में संकुचन के नव-परम्परावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। वर्तमान में जारी अत्यधिक तरलता, सुदृढ़ साख विस्तार तथा सर्वाधिक विदेशी कोषों एवं उतप्लावक शेयर बाजार के साथ ब्याज की कम दरें एवं कम मुद्रास्फीति के संदर्भ में, हम सुरक्षित रूप से विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपना सकते हैं। यह दृष्टिकोण कीन्स के निदान जैसा प्रतीत हो सकता है, परन्तु

यह ऐसा नहीं है। हम कीन्स के दृष्टिकोण का पूर्णतः समर्थन नहीं करते। हम उपभोग व्यय में वृद्धि से उत्पन्न सरकारी घाटे, जो स्फीतिकारी हो सकते हैं तथा जिसमें किन्हीं उत्पादक आस्तियों का निर्माण नहीं होता तथा निवेश, जो आस्तियों का निर्माण करता है एवं आय का सृजन करता है, में भेद करते हैं। हम राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिये मौद्रीकरण नहीं, वरन् आंतरिक एवं बाह्य ऋणों तथा राजस्व लेखों में अतिरेक के उपयोग का समर्थन करते हैं। निहित विचार यह है, कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न है, परन्तु जहाँ मानवीय संसाधनों एवं भौतिक अधो-संरचना के विकास में कमी है। राजकोषीय घाटे का उपयोग विकास प्रेरक यंत्र के रूप में किया जा सकता है।

6.12.4 इस चर्चा ने हमारा ध्यान, देश के अर्ध विकसित क्षेत्रों के विकास में सार्वजनिक निवेश की केन्द्रीय भूमिका की ओर आकर्षित किया है। ये क्षेत्र लम्बे समय तक उपेक्षित एवं अर्धविकसित रहे हैं तथा इनके प्राकृतिक साधनों (वन, खनिज एवं जल) के अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों की ओर निरंतर बहाव का इतिहास है। अतएव इन क्षेत्रों के लिये अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होगी। इतनी अधिक मात्रा एवं विविधता में केवल राज्य ही निवेश कर सकता है। यह जरूरी है, कि सार्वजनिक निवेश बहु-भुजी दीर्घ काल तक धारणीय हो। यह निजी निवेश के आने के लिये आधार तैयार करेगा। भौतिक अधो-संरचना के निर्माण एवं मानव संसाधन विकास में राज्य द्वारा निवेश के महत्व को देखते हुये, हम राज्य में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि की अनुशंसा कर रहे हैं, भले ही यह राजकोषीय घाटे में वृद्धि की कीमत पर हो।

6.13.0 राज्य वित्त की सुझायी गई पुनर्रचना का सारांश :

6.13.1 *ogr Lrj ij jkT; foRr dh l qk; h xbz i qjpk ds l kjk l j* जो *l kj.kh Ø- 6-10* में प्रस्तुत की गई है, हम *jkT; dh e/; e&dkyhu jkt dksk; uhfr* के निर्माण के लिये अनेक महत्वपूर्ण तत्व एवं साधन प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें नीचे रेखांकित किया गया है :-

- (1) ***jkT; dsLo; ads dj jktLo dk ftl sl -jk?k-m- ds ifr'kr ds : i ea 2004&05 ds 7.34% l sc<kdj 2009&10 ea 9.51% djuk gñ XII02 fo-vk-*** द्वारा सुझायी गई पुनर्रचना योजना में यह लक्ष्य 6.8% रखा गया है। वर्ष 2004-05 का हमारा प्रारम्भिक स्तर (7.34%) समस्त राज्यों के औसत के स्तर से काफी ऊँचा है। इस अनुपात के पिछले निष्पादन ने हमें इस अनुपात के मामले में बड़े उछाल के पूर्वानुमान का साहस दिया है। वर्ष 2005-10 की अवधि में सरा.घ.उ.की मौद्रिक वृद्धि दर में 18% वार्षिक की वृद्धि से, राज्य सरकार कर एवं गैर-कर राजस्व से अधिक राजस्व जुटाकर, वृद्धिमान स.रा.घ.उ. के बढ़ते हुए अंश को जुटाने में सक्षम हो सकेगी।
- (2) ***jkT; dk dy dj jktLo] l -jk?k-m- vuqkr]*** जिसमें स्वयं का कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों का अंश दोनों शामिल हैं। ***2004&05 ds 11.60% l sc<dj 2009&10 ea 14.56% gkuk i wkLupkfur gñ***
- (3) ***jkT; dk xj&dj jktLo] l -jk?k-m- vuqkr*** समस्त राज्यों के औसत से काफी अधिक रहा है तथा राज्य के लिये वर्ष 2004-05 से 2009-10 में पूर्वानुमानित वृद्धि भी ***XII02 fo-vk-*** के औसत पूर्वानुमान से काफी अधिक है।
bl l kr l j jkT; ds jktLo dks c<kus dh dkQh l kkkouk g\$ c'kr j jkT; }kjk inRr vusd l kelftd , oa vkfFkd l okvka ds l xdk ea l fcl Mh , oa mi HkkDrk&eW; ol nyus dh uhfr ea egRoiwz ifjorL fd; s tk; A
- (4) यद्यपि ***dhnh; gLrkrj.k*** समस्त राज्यों के औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ की राजस्व प्राप्तियों में काफी अधिक अंश का योगदान कर रहे हैं। राज्य के ***l -jk?k-m- ds ifr'kr*** के रूप में इस योगदान में वृद्धि हुई है।

- (5) छत्तीसगढ़ राज्य के *C; kt Hkqrku] I -jk-?k-m- vuq kr* में गिरावट समस्त राज्यों के औसत की तुलना में कम है। इसका मुख्य कारण राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में संकल्पित बाजार ऋणों में वृद्धि के माध्यम से कुल ऋणों में भारी वृद्धि करना है।
- (6) राज्य के *dy jktLo 0; ;]* जिसमें *;kstuk ,oa xj&;kstuk nkuk* *jktLo 0; ;* शामिल हैं, का *I -jk-?k-m- I s vuq kr* समस्त राज्यों के औसत से काफी अधिक है। इस अनुपात में किसी अर्थ-पूर्ण कमी को होने नहीं दिया गया है, क्योंकि हमने गैर-योजना व्यय की तुलना में योजना राजस्व व्यय में वृद्धि का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त हमारा पूर्वानुमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय, जो अधिकांशतः राजस्व व्यय की प्रकृति का है एवं पूँजीगत व्यय में वृद्धि को सम्बल प्रदान करने के लिये, योजना राजस्व व्यय में काफी वृद्धि करने का है। इस कारण राजस्व व्यय संबंधी हमारे पूर्वानुमानों में राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. अनुपात में कोई अर्थपूर्ण कमी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। यह पूँजीगत व्यय बढ़ाने की हमारी नीति के अनुकूल है तथा इससे योजना राजस्व व्यय में तदनुरूप वृद्धि आवश्यक होगी।
- (7) वर्ष 2004-05 में *ipthr 0; ; I -jk-?k-m- vuq kr* (3.17%) समस्त राज्यों के औसत से काफी अधिक था। राज्य में यह अनुपात 2009-10 में बढ़कर 6.20% होने की संभावना है। राज्य को भौतिक अधो-संरचना एवं मानव संसाधन के विकास के लिये, जो घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार के निजी निवेशों को आकर्षित करने के लिये अत्यावश्यक है, सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि की आवश्यकता है, *rgukRed : i I s jktLo 0; ; ds mPp Lrj ,oa gekjs ioklpek vuq kj] ml ea deh ds dlj.k rFkk jktLo*

ikflr; ka ea dkQh of) ds dkj.k gekjh iqjpk ;kstuk ea dkQh jktLo vkf/kD; n'kkz k x;k g\$ tks 2009&10 ea I-jk?km- dk 2-58% gkskj tcf d bl dh rgyuk ea xiiog fo-vk }kjk iukLufur ?kkVk 'kD; crk;k x;k g\$

- (8) हमारी योजना का एक अलौकिक परिणाम यह प्राप्त होता है, कि *jkt; dk jkt dskh; ?kkVk 2004&05 ea I-jk?km- ds 2-80% I sc<dj 2005&06 ea 4-05% I s ?kVdj 2009&10 ea 2-98% gkus dk iukLufku g\$ jkt dskh; ?kVs dh bl mPp nj , oabl ds ?kVus dk vk\$pr; eq; r; % ; g g\$ fd jkT; ea fodkl dh xfr dks c<kus ds fy; s i thxr 0; ; ea of) jktLo vkf/kD; I s djukA* इस व्यय वृद्धि से राज्य में अधिक आय सृजित होगी तथा राज्य कोष को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। राजकोषीय घाटे की यह वृद्धि, राजस्व घाटे में वृद्धि के फलस्वरूप नहीं है, जैसा कि हाल के वर्षों में अनेक राज्यों में देखा गया है, वरन् राज्य को उच्च विकास पथ पर ले जाने के लिये निवेश व्यय में वृद्धि है।
- (9) बीते कुछ वर्षों की स्वस्थ राजकोषीय प्रवृत्तियों के फलस्वरूप, राज्य सरकार बाजार से राशियाँ जुटाने के मामलों में, पूर्व की तुलना में कहीं अधिक बेहतर स्थिति में होगी। इसके लिये राज्य सरकार को अपने प्रशासकीय तन्त्र एवं अन्य साधनों को चुस्त-दुरुस्त करना होगा। उत्पादक कार्यों के लिये बाजार से अधिक ऋण लेने के कारण कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान के अनुपात में संभवतः उस सीमा तक कमी नहीं हो सकेगी, जहाँ तक की संकल्पना *xiiog fo-vk* ने की है।

(10) *ijjþuk dh gekjh ;kstuk ea izdfYir ogr jkt dkskh; y{; kq]*
ftLks I kj.kh Ø- 6-11 ea प्रस्तुत किया गया है, *dks ikus ds fy; sjkT;*
ds jktLo , oa 0; ; ds 0; fDrxr ?kVdkæ dh jpuk ea Hkh rnuq kj
ifjorU djuk vko'; d gkskA I fe Lrj ij Hkh ijjþuk I eku
: i I s egRoikZ g\$ ftI ds fcuk ogr Lrjh; ijjþuk døy
dkxtkæ ij cuh jgsxA यह अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।

सारणी क्र. 6.1
 NRRhl x<+jkt; ds jktLo 0; ; ds iokZuæku
 ½2002&03 I s 2009&10½

(करोड़ रु. में)

Ø-	en	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामान्य सेवायें	870	1073	1269	1508	1798	2151	2582	3110
अ.	ब्याज भुगतान	403	490	542	599	662	731	809	895
ब.	अन्य	466	583	728	909	1136	1419	1773	2216
2	सामाजिक सेवायें	987	1171	1390	1649	1957	2322	2756	3270
3	आर्थिक सेवायें	682	791	917	1062	1231	1426	1653	1916

4	स्थानीय निकायों को अनुदान	76	116	126	138	151	165	181	198
5	प्रतिव्यक्ति राजस्व व्यय (रु.)	2615	3150	3702	4357	5137	6065	7172	8494
6	कुल राजस्व व्यय	5530	6772	8092	9684	11607	13934	16753	20174
7	योजना व्यय	1330	2777	2569	2775	3009	3276	3579	3923
8	शेष गैर-योजना राजस्व व्यय	4200	3996	5523	6909	8598	10658	13175	16250
9	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	3291	3767	4119	4458	4833	5366	5966	6643
10	अंतरण पूर्व गैर-योजना राजस्व घाटा	909	228	1405	2451	3765	5293	7208	9607

(स्रोत: XII वें वित्त आयोग को प्रस्तुत स्मृति पत्र, पृष्ठ-57)

सारणी क्र. 6.1 (अ)
jkT; I jdkj ds ?kkVk i wkuwku

(करोड़ रु. में)

jkT; dh Lo; adh jktLo i kflr; k			xj & ; kst uk jktLo 0; ; ?kkVk	?kkVk
Lo; adk dj jktLo	Lo; adk xj & dj jktLo	; ksx		
1	2	3	4	5
20307	8661	28968	37663	-8695

सारणी क्र. 6.1 (ब)
NRrhl x<+jkT; dsfy; s l gk; rk vuwku

(करोड़ रु. में)

dññh; djka eafgLI nkjh	16285.76
1	2
गैर-योजना राजस्व घाटा	निरंक
सड़कों एवं पुलों का रखरखाव	262.40
भवनों का रखरखाव	183.09
वनों का रखरखाव	85.00
पुरा संपदा संरक्षण	10.00
राज्य-विशेष अनुदान	300.00
LFkkuh; fudk;	703.00
आपदा सहायता	444.45
dy I gk; rk vuñku	1987.94
dy gLrkñj.k	18273.70

(स्रोत: XIIवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, पृष्ठ 197)

सारणी क्र. 6.2

NRrhl x<+jKT; dsfy; s xii oafOrR vk; kx }kjk r\$ kj iñkñpku
½2005&06 I s 2009&10½

(करोड़ रु. में)

Ø-	en	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005&10 ; kx
1	2	3	4	5	6	7	8
I	jktLo ikflr; k						
i	स्वयं का कर राजस्व	3445.81	3900.65	4415.54	4998.39	5658.18	22418.58
ii	स्वयं का गैर-कर राजस्व	1322.08	1401.91	1491.15	1591.40	1704.66	7511.20
iii	योग (i+ii)	4768.89	5302.57	5906.69	6589.79	7362.84	29929.78

II	खर्च; कस्तुक जक्तल 0; ; I केकु; I डक; a						
i	ब्याज भुगतान	1062.22	1153.60	1251.65	1358.04	1473.48	6300.00
ii	पेंशन	474.31	521.75	573.92	613.31	694.44	2895.74
iii	अन्य सामान्य सेवायें	705.39	747.88	792.95	840.76	891.49	3978.47
	कुल सामान्य सेवायें	2242.93	2423.22	2618.53	2830.12	3059.41	13174.21
III	सामाजिक सेवायें	1630.15	1766.77	1915.36	2077.02	2252.94	9642.23
IV	आर्थिक सेवायें	870.48	924.73	982.53	1044.09	1109.69	4931.25
V	LFkkh; fudk; ka dks {kfr i frl , oa I k k x; k jktLo	220.44	247.99	278.99	313.87	353.10	1414.40
VI	प्रतिबद्ध देयतायें	—	—	656.32	705.54	758.46	2120.32
VII	कुल गैर-योजना राजस्व व्यय	4964.00	5362.00	6451.73	6970.64	7553.61	31282.68
VIII	अंतरण पूर्व गैर-योजना घाटा	-196.11	-60.14	-545.04	-380.84	-170.77	-1352.90

(स्रोत: XIIवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, पृष्ठ 395)

सारिणी क्र. 6.3

Lo; a ds dj jktLo ds i nkupekuka dh ryukRed fLFkr
1/2 2005&06 I s 2009&10 1/2

(करोड़ रु. में)

foRr vk; ksx	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	; ksx
1	2	3	4	5	6	7
रा.वि.आ. के पूर्वानुमान	3994.79	4956.29	6161.76	7673.72	9571.23	32357.79
XIIवें वि.आ. के पूर्वानुमान	3445.81	3900.65	4415.54	4998.39	5658.18	22418.58

सारिणी क्र. 6.4

Lo; a ds xj&dj jktLo ds i nkupekuka dh ryukRed fLFkr

2005&06 I s 2009&10½

(करोड़ रु. में)

foRr vk; ksx	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	; ksx
1	2	3	4	5	6	7
रा.वि.आ. के पूर्वानुमान	1480.28	1761.53	2096.22	2494.50	2968.46	10800.98
XIIवें वि.आ. के पूर्वानुमान	1322.08	1401.91	1491.15	1591.40	1704.66	7511.20

सारणी क्र. 6.5

jkt; dsLo; adsjktLo dh iwkLufur fLFkr
2005&06 I s 2009&10½

(करोड़ रु. में)

foRr vk; ksx	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	; ksx
1	2	3	4	5	6	7
रा.वि.आ. के पूर्वानुमान	5475.07	6717.82	8257.98	10168.22	12539.69	43158.78
XIIवें वि.आ. के पूर्वानुमान	4767.89	5302.57	5906.69	6589.79	7362.84	29929.78

सारणी क्र. 6.6

jktLo 0; ; ds iwkLufur dh rjukRed fLFkr
2005&06 I s 2009&10½

(करोड़ रु. में)

Ø-	fooj.k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	; ksx
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	jktLo 0; ; ksj & ; kst uk½ jkfo-vk- }kjk iwkLufur	595288	7024.40	8288.79	9780.77	11541.31	42588.16
2.	राजस्व व्यय (गैर-योजना) XIIवें वि.आ.द्वारा पूर्वानुमान	4964.00	5362.71	6451.73	6970.64	7533.61	31282.68

3.	; kstuk jktLo 0; ;	2578.16	3160.50	3953.88	5042.36	6547.14	21282.05
4.	dy jktLo 0; ; ¼\$3½	8531.04	10184.90	12242.68	14823.14	18088.45	63870.20
5.	स.रा.घ.उ.का %	16.44	16.63	16.94	17.38	17.98	17.20

सारणी क्र. 6.7
vkr&fuHkr dk funr kad
¼2005&06 I s 2009&10½

(करोड़ रु. में)

Ø-	fooj .k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	; kx
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राज्य का कुल स्वयं का राजस्व	5475.07	6717.82	8257.98	10168.22	12539.69	43158.78
2.	राजस्व व्यय	8531.04	10184.90	12242.68	14823.14	18088.45	63870.20
3.	vkr&fuHkr funr kad %Lo; a dk jktLo@ jktLo 0; ; %	64.18	65.96	67.45	68.60	69.32	67.57

सारणी क्र. 6.8
jkt; ds yfcr __.kadh rgyukRed fLFkr
¼_.k & I -?km- vuq kr½
¼2000&01 I s 2002&03½

(% में)

Ø-	fooj .k	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़	22.01	21.66	25.46

2.	गैर विशेष श्रेणी राज्य	28.34	30.84	33.51
3.	सभी राज्य	28.96	31.54	34.21

सारणी क्र. 6.9

राज्यीय वित्त सहायता का वितरण
2001-02 से 2004-05 तक

क्र.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	छत्तीसगढ़	16.71	14.95	14.35	14.45	15.12
2.	गैर विशेष श्रेणी राज्य	26.19	27.11	27.16	29.29	27.44
3.	सभी राज्य	25.23	26.04	26.07	25.19	25.63

सारणी क्र. 6.10

राज्यीय वित्त सहायता का वितरण
2005-06 से 2009-10 तक

(करोड़ रु. में)

क्र.	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	राज्यीय वित्त सहायता						
1.	स्वयं का कर राजस्व	3994.79	4956.29	6161.76	7673.72	9571.23	32357.79
2.	स्वयं का गैर-कर राजस्व	1480.28	1761.53	2096.22	2494.50	2968.46	10800.98
3.	कुल स्वयं का राजस्व (1+2)	5475.07	6717.82	8257.98	10168.22	12539.69	43158.78

4.	स.रा.घ.उ.का %	10.55	10.97	11.43	11.92	12.46	11.62
5.	केन्द्र से हस्तांतरण (करोँ में अंश+सहायता अनुदान)	3443.57	4270.02	5294.83	6565.59	8141.33	27715.33
6.	स.रा.घ.उ.का %	6.64	6.97	7.33	7.70	8.09	7.46
7.	कुल राजस्व प्राप्तियों (3+5)	8918.64	10987.84	13552.81	16733.81	20681.02	70874.11
8.	स.रा.घ.उ.का %	17.18	17.94	18.75	19.62	20.55	19.09
II jktLo 0 ;							
1.	गैर-योजना	5952.88	7024.40	8288.79	9780.77	11541.31	42588.16
2.	योजना	2578.16	3160.50	3953.88	5042.36	6547.14	21282.05
3.	कुल राजस्व व्यय (i+ii)	8531.04	10184.90	12242.68	14823.14	18088.48	63870.20
4.	स.रा.घ.उ.का %	16.44	16.63	16.94	17.38	17.98	17.20
III i pthx i kflr; kW							
1.	ऋण वसूली	1032.80	189.85	303.51	451.95	643.98	1693.08
2.	शुद्ध सार्वजनिक ऋण	2122.69	2431.29	2782.20	3180.67	6332.44	14149.29
3.	शुद्ध सार्वजनिक लेखा	368.49	440.94	527.53	631.02	754.66	2722.64
4.	dy i pthx i kflr; kW	2594.98	3062.07	3613.25	4263.63	5031.09	18565.02
IV.	i pthx 0 ; ;	2594.98	3245.80	4046.84	5031.09	6238.55	21157.25
V.	dy 0 ; ; jktLo\$ i pthx 1/2	11126.02	13430.70	16289.51	19854.22	24327.00	85027.45
VI.	राजस्व आधिक्य	387.60	820.94	1310.13	1910.67	2592.56	7002.90
	स.रा.घ.उ.का %	0.75	1.31	1.81	2.24	2.58	1.89
VII.	राजकोषीय घाटा	2103.58	2253.01	2433.19	2668.47	3002.01	12460.26
	स.रा.घ.उ.का %	4.05	3.68	3.37	3.13	2.98	3.36
VIII.	पूँजीगत व्यय, राजकोषीय घाटे के % में	123.36	144.07	166.32	188.54	207.81	169.80

नोट : कॉलम नं 8 में दर्शाया गया स.रा.घ.उ. औसत को दर्शाता है।

सारणी क्र. 6.11

jkt; foRr dh I qk; h xbz i qjpk ; kstuk dk I kjk
1/2004&05 I s 2009&10 1/2

XIIofo-vk- }kj I qk; h				jkt; fo-vk- }kj I qk; h				
jkt; foRr i qjpk 1/2 -k-m- ds % e 1/2				NRrhl x< jkt; foRr i qjpk 1/2 -k-m- ds % e 1/2				
Ø.	en	04-05	09-10	I ek; kstu 09&10&04 &05	en	04-05	09-10	I ek; kstu 09&10&04 &05
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	राज्यों का स्वयं का कर राजस्व	5.9	6.8	0.8	राज्यों का स्वयं का कर राजस्व	7.34	9.51	2.17
2.	कर राजस्व	8.4	9.7	1.3	कर राजस्व	11.60	14.56	2.96
3.	स्वयं का गैर-कर राजस्व	1.2	1.4	0.2	स्वयं का गैर-कर राजस्व	2.83	2.95	0.12
4.	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	11.6	13.2	1.6	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	16.48	20.55	4.07
5.	केन्द्रीय हस्तांतरण	4.5	5.0	0.5	केन्द्रीय हस्तांतरण	6.31	8.09	1.78
6.	ब्याज भुगतान	2.9	2.0	-0.9	ब्याज भुगतान	2.62	1.72	-0.9
7.	कुल राजस्व व्यय	13.6	13.2	-0.4	कुल राजस्व व्यय	16.15	17.98	1.83
8.	पूँजीगत व्यय	2.6	3.1	0.5	पूँजीगत व्यय	3.39	6.20	2.81
9.	कुल व्यय(7+8)	16.2	16.3	0.1	कुल व्यय(7+8)	19.31	24.18	4.87
10.	राजस्व घाटा (7-4)	2.0	0.0	-2.0	राजस्व आधिक्य	0.33	2.58	2.25
11.	राजकोषीय घाटा	4.5	3.00	-1.5	राजकोषीय घाटा	(4.05)	2.98	-1.07
12.	प्राथमिक घाटा (राजको. घाटा- ब्याज भुगतान)	1.6	1.0	-0.6	प्राथमिक घाटा (राजको. घाटा- ब्याज भुगतान)	(1.65)	1.26	-0.39
13.	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ	24.9	15.0	-10.0	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ	15.89	8.38	-7.51

टिप्पणी : कोष्टक में दिये गये वर्ष 2005-06 को बताते हैं, समायोजन 2009-10 - 2005-06 (स्रोत : राज्यों के समकों के लिये, XII वें वित्त आयोग प्रतिवेदन, पृष्ठ-75 छत्तीसगढ़ राज्य के समंक बजटीय समकों एवं **jkfo-vk** के द्वारा प्रदत्त राजस्व एवं व्यय के पूर्वानुमानों से प्रगणित)